



न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

दीपक कुमार गुप्ता वगैरे बनाम बेबी देवी वगैरे

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्यवाही
19-7-17	<p>अगिलेख सं०-एम... 82/2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रगारी बुण्डू के अप्राथमिकी सं०-25/17 दिनांक-07-07-17 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि आपने अपने मकान पर बने इजमार्गल दरवाजा पर सामान रखने तथा सामान को हटा देने को लेकर उभय पक्ष में विवाद है।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति मंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति मंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अगिलेख तिथि 07/08/17 को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संश्लेषित</p>	
	<p></p> <p>कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p>	
	<p></p> <p>कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> <p>अभिलेख उपस्थापित / नीरिस का दाखिला अप्राप्त / उभय पक्ष अनुपस्थित / दिनांक 21-08-17 की रूबे।</p>	


07-08-17

आदेश की क्रम सं० एवं
तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आ
कार
तारीख

प्रथम पत्र को अमान्य के अर्थात्
दूसरे के अर्थात् निर्गत को दिनांक
27-09-19 को 22वें


16/9/19

27-09-19

अभिलेख उपस्थापित | प्रथम पत्र
कमांक 01 अर्थात् अन्य अधिकृत एजरी
द्वितीय पत्र कमांक 01 अर्थात् अन्य
अधिकृत एजरी | प्रथम पत्र गवाही
द्वेष गवाह अर्थात् को दिनांक
21-10-19 को 22वें


21/10/19

21-10-19


अभिलेख उपस्थापित | प्रथम पत्र
कमांक 01 अर्थात् अन्य अधिकृत एजरी |
द्वितीय पत्र कमांक 01 अर्थात् अन्य
अधिकृत एजरी | उक्त वाद के
6 (छः) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी
है अर्थात् वाद कालबाधित हो गया है


एवं

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित

अब वाह के अधिकारों की कार्रवाई
बन्द की जाती है
लेखापत्र एवं संशोधित


कार्यपालक दफ्तराधिकारी
शुभ (रांची)


कार्यपालक दफ्तराधिकारी
शुभ (रांची)